

1. समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ० प्र०।
2. समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर, उ० प्र०।
3. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ० प्र०।

आप सभी अवगत है कि जी०एस०टी०, दिनांक 01.07.2017 से उत्तर प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में लागू हो रहा है। विभाग के समस्त अधिकारियों का जी०एस०टी० ला संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है एवं जी०एस०टी०एन० साफ्टवेयर संबंधित प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

मुख्यालय स्तर पर समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश अधिकारियों द्वारा जी०एस०टी० में पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। जी०एस०टी० काउंसिल द्वारा अनुमोदित मॉडल एस०जी०एस०टी० लॉ एवं अब तक अनुमोदित नियमावलियों विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी अधिकारियों से अपेक्षित है कि इनका विधिवत अध्ययन कर लें। इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालयों एवं संभागीय मुख्यालयों पर प्रतिदिन दो घण्टे का सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यह सेमिनार कार्यालय समय के उपरांत सांयकाल 5 से 7 बजे के मध्य आयोजित किया जाए तथा सेमिनार के लिए विषयों का चयन निम्न विषयों में से किया जाए :-

1. Levy and Collection of Tax , Meaning and Scope , Place , Time and Valuation of Supply
2. Input Tax Credit , Audit and Assessment , Advance Ruling , Appeals and Revision in GST
3. Offences and Penalties , inspection, Search , Seizure and Arrest in GST
4. ~~Front-end~~ Processes of GST (Registration , Payment , Return and Refund) , Miscellaneous and Transitional Provisions in G.S.T.


स्थान की उपलब्धता व प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर एक विषय पर एक से अधिक सेमिनार आयोजित किये जा सकते हैं किन्तु जोन/संभाग पर उपलब्ध मास्टर ट्रेनर्स व ट्रेनर्स को प्रत्येक सेमिनार में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

जोनल एडिशनल कमिश्नर जोनल मुख्यालयों एवं जोनल मुख्यालयों के इतर संभागीय मुख्यालयों पर प्रत्येक विषय पर आयोजित सेमिनारों की संख्या व दिनांक नियत करते हुए दिनांक 20.04.2017 तक जी०एस०टी० अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे (इसकी एक प्रति upctres.@gmail.com पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करायें) तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक विषय पर सेमिनार में प्रतिभाग अवश्य करेंगे। इस प्रकार के समस्त सेमिनारों का आयोजन माह मई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

माह मई के द्वितीय सप्ताह में मुख्यालय स्तर से अधिकारियों हेतु एक जी०एस०टी० परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों की जी०एस०टी० के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं की जाएगी तथा इसे उनके वार्षिक मूल्यांकन का आधार भी बनाया जाएगा।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी विषयों पर आयोजित सेमिनार में प्रतिभाग कराना जोनल एडिशनल कमिश्नर एवं ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) का दायित्व होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।


(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।